

सं० सं० 14/एम 11-2/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.12.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	इन्द्र देव माली पिता-स्व. रामचन्द्र माली ग्राम+पो०-बराह थाना-हरनौत जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	रामेश्वर राय पिता-नगीना राय ग्राम-चकहन पो०-साम कौड़ीया थाना-इसुआपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
3	प्रमोद कुमार साह पिता-महेन्द्र साह ग्राम-मनीयारपुर पो०-थाना-वारिसनगर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
4	अखिलेश प्रसाद पिता-मिश्री प्रसाद ग्राम-पोस्टल पार्क विनोवा नगर रोड नं०-1, पो०-जी०पी०ओ० थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	भोला सहनी पिता-बधु सहनी ग्राम-पो०-महीसौर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

20/12/15  
2/11/15

6	मो० जुबैर पिता-मनीर मियां ग्राम+थाना-चेरिया बरियारपुर पो०-श्रीपुर जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	चन्दु साव पिता-श्री जनी साव ग्राम-हेलालपुर पो०-इब्राहीमपुर थाना किंजर, जिला- अरवल	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	शत्रुधन प्रसाद गुप्ता पिता-स्व. रामानन्द साह ग्राम-नरहरपुर पो०-किशुनपुरा थाना-बसंतपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,70,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,70,000/- (आठ लाख सतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509080 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509080 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 13 (14)

पटना, दिनांक - 6-1-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
5.1.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.12.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नारायण पासवान पिता-मुसहर पासवान ग्राम-चक चमेली पो०-सराय थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	रोग	₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 10,000/- ( दस हजार ) का क्रास चेक सं०.....509079.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद )

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 10 (14)

पटना, दिनांक - 6-1-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
ए०एस०जी० नेत्र अस्पताल,  
प्रा० लि० सी.सी.-78, पी.सी.कालोनी,  
कंकड़बाग, पटना 20।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.12.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नाजीर अंसारी पिता-अजुब अंसारी ग्राम-छोटी बरियारपुर पो०-मोतीहारी कोर्ट थाना-छतौनी जिला-पूर्वी चम्पारण	नेत्र रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 509078..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 8 (14)

पटना, दिनांक - 6-1-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)